

आनन्द सिंह बनाम कैलाश नाथ वगैराह
राजस्व वाद संख्या 129/2022

डिक्री व मुकदमे इब्तादाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल (नागौर)
पीठासीन अधिकारी : ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 129/2022

वादी

1. आनन्दसिंह पुत्र भीमसिंह
2. श्रवणसिंह पुत्र भीमसिंह जातियान राजपूत निवासीगण डेह तहसील जायल जिला नगौर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. कैलाशनाथ पुत्र भैरूनाथ
2. जीवणनाथ पुत्र भैरूनाथ
3. बादरनाथ पुत्र भैरूनाथ
4. गीता पुत्री भैरूनाथ
5. पांची पुत्री भैरूनाथ
6. भंवरी पुत्री भैरूनाथ
7. मीरां पुत्री भैरूनाथ
8. रामी पुत्री भैरूनाथ
9. सन्तोष पुत्री भैरूनाथ
10. शिवरी देवी उर्फ शिवदी देवी पत्नि भैरूनाथ जातियान नाथ निवासीगण डेह तहसील जायल
11. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जायल

वाद अधीन धारा 53, आर.टी. एक्ट


उपरिस्थिति -

1. वादीगण की ओर से श्री शैलेन्द्रसिंह कालवी एडवोकेट
2. प्रतिवादी संख्या 2, 3 व 10 की ओर से अधिवक्ता श्री इस्लामुदीन काजी
3. प्रतिवादी संख्या 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही

- : : डिक्री आदेश : : -

दि. 30/12/2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री शैलेन्द्रसिंह कालवी अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 2, 3 व 10 हाजरी


सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

श्री इस्लामुद्दीन काजी अधिवक्ता व प्रतिवादी संख्या 10 राज पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि—

आनन्द सिंह बनाम कैलाश नाथ वगैराह
राजस्व वाद संख्या 129/2022

1. मौजा डेह के खसरा नम्बर 1479 रकबा 5.0181 हैक्टेयर में से संलग्न नजरी नक्शानुसार दोनों वादीगण की 57415/903258 - 57415/903258 हैक्टेयर भूमि जो इस खेत का पूर्वी भाग है को वादीगण की सहखातेदारी का घोषित किया जाता है।

2. मौजा डेह के खसरा नम्बर 1479 रकबा 5.0181 का शेष यथावत रखा जाता है।

तीज - मुबलिंग - बाबत् - खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह - सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक - की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 30/12/2022 को जारी की गई।

(आमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :- इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(आमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल